राजस्थान–सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी./तक–2/दिशा निर्देश/2017–18/3827-3996 दिनांक : 31.05.17

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2. परियोजना निदेशक कृषि (वि0) सी.ए.डी कोटा
3. उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. बीकानेर

विषय :– NMOOP Mini Mission-I (Oil Seed) योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में फारमर्स फिल्ड स्कूल पद्वति के माध्यम से समन्वित कीट प्रबन्धन तकनीकी प्रदर्शन कार्यक्रम (FFS based IPM) के दिशा–निर्देश भिजवाने बाबत्।

फसलों में रसायनों का उपयोग अत्यधिक होने लगा है । समन्वित कीट प्रबन्धन के माध्यम से रसायनों के उपयोग की मात्रा काफी हद तक कम की जा सकती है। इसके साथ साथ फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता भी बढायी जा सकती है, जिसके लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक है। इस दृष्टि NMOOP Mini Mission-I (Oil Seed) योजनान्तर्गत एफ.एफ.एस. बेस्ड आईपीएम प्रशिक्षणों के माध्यम से समन्वित कीट प्रबन्धन तकनीकी प्रदर्शन आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है । इसके क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2017–18 के दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक, उददेश्यपरक व प्रभावी कार्यक्रम (एफ.एफ.एस. बेस्ड आईपीएम प्रशिक्षणों के माध्यम से समन्वित कीट प्रबन्धन तकनीकी प्रदर्शन) आयोजित कराना सुनिश्चित करें, ताकि इन कार्यक्रमों में अर्जित ज्ञान से कृषक लाभान्वित हो व अपने उत्पादन व उत्पादकता में वृद्वि कर सके।

संलग्नः–दिशा निर्देश

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी./तक–2/दिशा निर्देश/2017–18/3827-3996 दिनांक : 31.5.2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय/माननीय पंचायतीराज मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, राज0 जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर ।
6. समस्त जिला कलेक्टर .....।
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनु./एनएमओओपी/समन्वयक/उद्यान) मु. ।
8. उप सचिव, किसान आयोग, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ..... ।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/आदान/पौध संरक्षण/गु. नि./जउप्र/शस्य एटीसी/प्र. एवं मू./विस्तार/रसायन)/उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी, सूचना, विस्तार, चारा विकास/सांख्यिकी) को नॉडल ऑफिसर के रूप में पर्यवेक्षण हेतु।
11. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद .....।
12. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) .....।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
15. आरक्षी पंजिका।

31.5.17

(एच.एस.मीना)
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

(2)

समन्वित कीट प्रबन्धन/फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित तकनीकी का प्रदर्शन

(Integrated Pest Management (IPM) /FFS based Integrated Technology Demonstrations)

(सोयाबीन, मूंगफली, सरसों फसल)

– : दिशा–निर्देश :–

1. समन्वित कीट प्रबन्धन/फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित तकनीकी प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य कृषकों को समन्वित कीट प्रबन्ध पद्धति का सैद्धान्तिक, प्रायोगिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर इस पद्धति को अपनाने हेतु प्रेरित करना है।
2. फारमर्स फिल्ड स्कूल पद्धति के माध्यम से समन्वित कीट प्रबन्धन तकनीकी के प्रदर्शन हेतु (FFS based IPM) प्रशिक्षण सोयाबीन, मूंगफली एवं सरसों की फसल में 14 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन आयोजित किये जायेगें। यह कार्यक्रम 2 प्रशिक्षित फेसिलिटेटर द्वारा आयोजित किया जायेगा। उप निदेशक/परियोजना निदेशक, आत्मा/सहायक निदेशक/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/अन्य विभागों के अधिकारी आदि जो कि कृषकों को उपयुक्त प्रशिक्षण दे सकें, प्रशिक्षक होगें। यह प्रयास किया जाना चाहिये कि प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में कम से कम 1 सहायक निदेशक/कृषि अधिकारी स्तर का अधिकारी अवश्य रहे। संबंधित क्षेत्र के सेवानिवृत अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञों / आत्मा योजनान्तर्गत कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों (बीटीएम/बीटीटी) आदि की सेवाएं भी एफएफ बेस्ड प्रशिक्षणों के संचालन में ली जा सकती है।
3. इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद उत्तरदायी होंगे। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन जिलेवार किया जावेगा तथा उप जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा किया जाकर तत्काल सूचना आयुक्तालय को भिजवायी जावें ताकि आवंटन के अनुरूप सम्बन्धित उप जिले के सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) को बजट आवंटन की कार्यवाही की जा सके।
4. समन्वित कीट प्रबन्धन/फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित तकनीकी प्रदर्शन के प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आईपीएम तकनीकी के प्रदर्शन हेतु प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम 0.4 हैक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जावेगा जिसमें से 0.2 हैक्टेयर प्रदर्शन प्लाट तथा 0.2 हैक्टेयर नियंत्रित प्लाट रखा जावे। प्रदर्शन प्लाट में फसल के मॉड्यूल एवं स्थानीय आवश्यकता के आधार पर समन्वित कीट प्रबन्धन की तकनीकी का प्रदर्शन किया जावे।
5. कार्यक्रम प्रातः काल कम से कम 4–5 घन्टे की अवधि का होगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए इस अवधि का समयबद्ध कार्यक्रम (मिनट टू मिनट प्रोग्राम) बनाया जाए। स्थान, दिनांक, समय, कृषक चयन, विषय परक व्याख्याता चयन, दृश्य–श्रृव्य साधन, प्रशिक्षण साहित्य आदि की प्रशिक्षण पूर्व समुचित व्यवस्था करनी होगी। यह ध्यान रखें कि समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित अंतिम समय से पहले प्रशिक्षण समाप्त न हो तथा कार्यक्रम में प्रस्तावित समय के बाद आरम्भ न हो। इस हेतु सुझावात्मक कार्यक्रम (मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम परिशिष्ठ–4) संलग्न है।
6. कार्यक्रम का पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होगा तथा इसमें उत्पादन तथा पौध संरक्षण प्रोद्यौगिकी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

7. पाठयक्रम में Agro Eco System Analysis प्रमुख गतिविधि होगी, जिसके आधार पर कृषक फसल प्रबन्धन के महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेगा। Agro Eco System Analysis में कृषकों को क्षेत्र की कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों (Agro Climatic Conditions) के सन्दर्भ में कीट रोग का प्रकार, प्रकोप का स्तर, मित्र कीटों का स्तर, प्रबन्धन हेतु जैविक विधि का चयन तथा प्रभावशीलता का प्रायोगिक एवं व्यवहारिक ज्ञान दिया जायेगा। इसमे क्षेत्रिय तापमान, आद्रता व स्थानीय मौसम के विभिन्न तत्वो के कीट रोग प्रकोप से पारस्परिक सम्बन्धो की भी विवेचना होगी ।
8. प्रशिक्षण में कम से कम 30 कृषक भाग लेंगें, जो चयनित ग्राम या आस पास के ग्रामों के हो सकते है, यह ध्यान रखा जायें कि FFS based IPM की सम्पूर्ण अवधि के प्रत्येक दिवस में कृषकों का समूह समान हो अर्थात जो 30 कृषकों का समूह प्रारम्भ में चयनित किया गया है वे ही लगातार हर सत्र में प्रशिक्षण लें।
9. इस योजना में कृषकों का चयन सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अपने स्तर से करेंगें तथा चयन कार्य निम्न बिन्दुओं का ध्यान में रखकर किया जायेगा। प्रशिक्षण में लघु/सीमान्त/महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाए।
    1. कृषक फसल लेता हो।
    2. कृषक की समन्वित कीट प्रबन्धन में रूचि हो।
    3. अच्छी ग्राह्यता हो।
    4. पाठयक्रम में कम से कम 90 प्रतिशत सत्रों में भागीदार हो।
    5. व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो।
10. प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद प्रशिक्षण कलेन्डर बनायेगें, जिसमें प्रशिक्षण स्थल, दिनांक, समय, अतिथि व्याख्याता विषय आदि की सूचना समस्त सम्बन्धित कार्मिकों को देगें। उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिले का पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन कर निदेशक, कृषि को भी एक प्रति भिजवायेंगे। (कलेण्डर का प्रारूप परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है)
11. प्रशिक्षण को रोचक, सहभागी, चर्चात्मक (विचार–विमर्श व समूह चर्चा आधारित) बनायें, जिससे कृषकों को अपनी बात कहने व उसे समझने का अवसर मिल सके व उनकी लगातार रूचि बनी रहें । FFS based IPM में कम से कम व्याख्यान रखें जावें तथा प्रायोगिक अनुभवों व व्यवहारिक बिन्दुओं का अधिकाधिक समावेश हो।
12. कृषकों के समूह बनायें तथा प्रशिक्षण के एक सत्र में उनको विषय आवंटित कर चर्चा करवायें तथा विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण करावें। इस गति विधि को करने से कृषकों का पूर्ण जुडाव (involvement) FFS based IPM में संभव हो सकेगा।
13. प्रशिक्षण को रोचक व रूचिकर बनायें । इसके लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग व साक्षरता कार्यक्रम या अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं के सन्दर्भ व्यक्तियों (Resource Persons/experts) को अतिथि व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ के रूप में जोडे जो खेल/ गीत/ कविता/ कहानी/ नाटक/ पहेली/ चुटकला/ कठपुतली/ जादू आदि विभिन्न विधाओं के माध्यम से आई.पी.एम. व कृषि संबधी अन्य सामान्य विषयों की जानकारी दे सकें।
14. प्रशिक्षाणार्थियों का प्रशिक्षण के दौरान ज्ञानार्जन टैस्ट लिया जावेगा जिसके लिये पूर्व में ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार किया जावेगा। इसकी घोषणा प्रशिक्षण प्रारम्भ के समय समस्त प्रशिक्षु कृषकों को दी जावेगी, जिससे प्रशिक्षणार्थियों को टैस्ट की जानकारी हो तथा सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दौरान वे गम्भीर रहे। टैस्ट के परिणाम के आधार पर प्रत्येक सत्र में प्रथम स्थान पर रहने वाले कृषक को पुरस्कार दिया जाए। इन पुरस्कारों की